

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/3845

दिनांक 17/10/2025

उपवानी प्रकरण रुभावचक बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अ-तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट. 1956
मुकदमा संख्या - 219 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक
05/भूअ./2025 दिनांक 01/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम अनीवाठ पटवार हल्का अनीवाठ
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 071, 490 में स्वातेदार अमावती
पुत्री सुरजाम के स्थान पर अनीवाठी पुत्री अमावती पुत्री का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का अनीवाठ
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 17/10/2025

कमांक/रीडर/2025/3846-47

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का अनीवाठ तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

